न्यायालयः—श्रीमती निधि शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर छ.ग.

परिवाद प्र0 क0—4825/2018
संस्थित दिनांक—14.09.2018
सी0आई0एस0 नंबर—4825/2018

श्रीमती सुषमा अग्रवाल, उम्र—37 वर्ष,
पति—स्व0 योगेश अग्रवाल,
साकिन—लोहार चौक पुरानी बस्ती रायपुर
तहसील व जिला—रायपुर छ.ग. ....परिवादी

विरूद्ध

छत्तीसगढ़ नवरंग कला निकेतन
द्वारा—श्रीमती शोभा साहू,
पति—श्री महेन्द्र साहू,
साकिन—ग्राम पतोरा (उतई)
तहसील—पाटन
जिला—दुर्ग छ.ग. ....अभियुक्त

परिवादी की ओर श्री सौरभ अग्रवाल अधिवक्ता,
अभियुक्त की ओर से श्री ओंकार साहू, अधिवक्ता

निर्णय

(आज दिनांक 07.09.2021 को घोषित)

01. अभियुक्त छत्तीसगढ़ नवरंग कला निकेतन द्वारा—श्रीमती शोभा साहू के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत अभियोग है कि अभियुक्त ने बैंक ऑफ इंडिया शाखा उतई का के एक धनादेश क्रमांक—029564 दिनांक 23.07.2018 राशि—2,07000/—₹ (अक्षरी दो लाख सात हजार रूपये) ऋण के दायित्व के भुगतान हेतु परिवादी को प्रदाय किया था, जिसे परिवादी द्वारा उक्त धनादेश को अपने यूनयिन बैंक शखा लिली चौक रायपुर छ0ग0 के समक्ष समाशोधन हेतु प्रस्तुत किये जाने पर ''Funds Insufficient'' की टीप के साथ अनादरित हो गया एवं इस संबंध

में प्रेषित सूचना के उपरांत भी आपके द्वारा चेक की राशि विहित समयावधि में अदा न कर परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (एतस्मिन्पश्चात ''1881 का अधिनियम'' से संबोधित) की धारा 138 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित करने का अभियोग है।

02. प्रकरण में कोई भी महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य नहीं रहा है।

03. परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी का नृत्य कला केन्द्र पुरानी बस्ती लोहार चौक रायपुर के नाम से फैंसी ड्रेस नृत्य एवं नाटको की वेश भूषा किराये से देने का व्यवसाय करती है और अभियुक्ता छत्तीसगढ़ नवरंग कला निकेतन के नाम से नृत्य एवं गायन का स्कूल चलाती है इसी परिपेक्ष्य में परिवादी एवं अभियुक्ता की जान पहचान हुई। अभियुक्ता परिवादी के दुकान से फैंसी ड्रेस किराये से ले जाती थी। अभियुक्ता ड्रेस की किराया राशि भुगतान के एवज में परिवादी को एक धनादेश राशि 2,07000/–रू0 (अक्षरी दो लाख सात हजार रूपये) का जिसका चेक क्रमांक–029564 दिनांक 23.07.2018 बैंक ऑफ इंडिया शाखा उतई दुर्ग छ0ग0 का प्रदान किया था।

04. परिवादी ने अभियुक्ता के द्वारा प्रदत्त चेक के भुगतान प्राप्त करने हेतु अपने बैंक खाता यूनियन बैंक शाखा लिली चौक रायपुर में समाशोधन हेतु दिनांक 23.07.2018 को प्रस्तुत किया। उपरोक्त चेक अभियुक्त बैंक, बैंक ऑफ इंडिया शाखा उतई दुर्ग द्वारा अपर्याप्त राशि टीप के साथ बिना भुगतान के परिवादी के बैंक को वापस कर दिया। जिसकी सूचना परिवादी को बैंक द्वारा लिखित में मेमो जारी कर प्रदान की गई। परिवादी द्वारा अभियुक्त को अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक पंजीकृत सूचना पत्र दिनांक 02.08.2018 को प्रेषित कर चेक में उल्लेखित राशि अदा

करने का निवेदन किया। उक्त पंजीकृत सूचना को अभियुक्त ने प्राप्त कर किया। किंतु अभियुक्त ने जवाब नहीं दिया और न ही परिवादी को चेक में उल्लेखित राशि प्रदान किया।

05. अपने अभिवाक् में अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया व प्रतिरक्षा चाही। द0प्र0सं0 की धारा 313 के अधीन किए गए अपने परीक्षण में उसने परिवादी साक्ष्य की सत्यता से इंकार करते हुए स्वयं को निर्दोष होना व इस मामले में झूठा फंसाया जाना बताया है। अभियुक्त ने यह बचाव लिया है कि अभियक्त ने परिवादी को कोरा चेक दिया था। अभियुक्त ने बचाव में किसी साक्षी का साक्ष्य नहीं कराया है।

06. इस प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होते हैं :—

(1) क्या अभियुक्त ने परिवादी को ₹ 2,07000/— (दो लाख सात हजार रूपये मात्र) की राशि का चेक क्रमांक 029564 दिनांकित 23.07.2018 प्रदत्त किया था ?

(2) क्या अभियुक्त ने उक्त चेक किसी वैध ऋण अथवा दायित्व के उन्मोचन हेतु प्रदत्त किया था ?

(3) क्या उक्त चेक अभियुक्त के खाते में पर्याप्त निधि न होने के कारण अनादरित हो गया था ?

(4) क्या उक्त चेक के अनादरण की सूचना प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर परिवादी ने अभियुक्त को उक्त राशि अदा करने हेतु लिखित सूचना पत्र प्रेषित किया था ?

(5) क्या उक्त सूचना पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर अभियुक्त

ने परिवादी को उपरोक्त राशि अदा नहीं की है ?

<u>विवेचना एवं निष्कर्ष</u>

<u>विचारणीय बिन्दु कमांक 1 व 2 –</u>

07. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का समुचित क्रमबंधन व सम्यक विवेचना करने एवं पुनरावृत्ति निवारित करने के आशय से उपरोक्त दोनों विचारणीय बिन्दुओं पर एक साथ विचार किया जा रहा है। समर्थन में परिवादी की ओर से प्रदत्त चेक प्रदर्श पी0–1, चेक अनादरण के संबंध में मेमो प्र0पी0–2, छत्तीसगढ़ नवरंग कला निकेतन को लिखा गया पत्र प्र0पी0–3, अभियुक्त को प्रेषित नोटिस प्र0पी0–4, पोस्टल रसीद प्र0पी0–5, नोटिस प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद प्र0पी0–30, छत्तीसगढ नवरंग कला निकेतन का 24 बिल प्र0पी0–06सी से 28सी एवं डायरेक्टर नवरंग कला द्वारा वाटसएफ के माध्यम से परिवादी को लिखा गया पत्र प्र0पी0–29सी प्रस्तुत किए गए हैं।

08. परिवादी सुषमा अग्रवाल (प0सा0–1) का अभिकथन है कि उसका नृत्य कला केद्र के नाम से फैंसी ड्रेस नृत्य एवं नाटकों की वेशभूषा किराये से देने का दुकान है और अभियुक्ता छत्तीसगढ नवंरग कला निकेतन के नाम से नृत्य एवं गायन का स्कूल चलाती है। अभियुक्त उसकी दुकान से फैंसी ड्रेस किराये पर ले जाती थी। इसी परिपेक्ष्य में उसकी एवं अभियुक्त की जान पहचान हुई। अभियुक्त द्वारा ड्रेस की किराये राशि भुगतान के एवज में उसे एक धनादेश क्रमांक–029564 दिनांकित 23.07.2018 राशि 2,07000/–रूपये का बैंक ऑफ इंडिया शाखा उतई दुर्ग छ0ग0 परिवादी का प्रदान किया था। परिवादी द्वारा उक्त धनादेश प्र0पी0 1 को प्रस्तुत किया है।

09. प्रस्तुत प्रदर्श पी0–1 का चेक अभियुक्त के खाते का है। उस पर बने अपने हस्ताक्षर को अभियुक्त ने चुनौती नहीं दी है। चेक का अनादरण अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण हुआ था। 1881 के अधिनियम की धारा 118(g) चेक के धारक के पक्ष में सम्यक अनुक्रम धारक होने की उपधारणा करने का प्रावधान करती है जिसके अनुसार –

118- Until the contrary is proved, the following presumptions shall be made:-

(g) that holder is a holder in due course-that the holder of a negotiable instrument is a holder in due course; provided that,where the instrument has been contained from itslawful owner, or from any person in lawful custody thereof, by means of an offence or fraud, or has been obtained from the maker or acceptor thereof by means of an offence or fraud, or for unlawful consideration, the burden of proving that the holder is a holder in due course lies upon him."

10. परिवादी द्वारा प्रतिपरीक्षण की कंडिका 12 में अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा सुझाव दिये जाने पर परिवादी ने कथन किया है कि वह वर्ष 2018 से छत्तीसगढ़ नवरंग कला निकेतन को फैंसी ड्रेस की वेशभूषा किराये पर देते आ रही है। साक्षी ने इस सुझाव को इंकार किया है कि प्रकरण में उसे अभियुक्त से वेश भूषा किराये की राशि मात्र 50,000/–रूपये लेना था।

इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसने दिनांक 13.12.2019 को अभियुक्त से 50,000 / –रूपये प्राप्त की है, जिसकी स्वीकृति प्रकरण के आदेश पत्रिका में उल्लेखित है। इसी साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके द्वारा फैंसी ड्रेस की वेशभूषा किराये से देने के संबंध में कोई रसीद पेश नहीं की है। अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा दिये गये इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–06सी से 28सी तक की वहीं रसीद है, जिसमें अभियुक्त उसके संस्थान से वेशभूषा किराये पर लेकर जाती थी, जिसमें उसके मैनेजर का हस्ताक्षर है। इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उक्त रसीदों में अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं है।

11. परिवादी द्वारा अभियुक्त के इस सुझाव से स्पष्टतः इंकार किया गया है कि संस्थान में वर्ष 2018 में अभियुक्त फैंसी ड्रेस की वेशभूषा किराये पर ले गई थी, उस समय उसने अभियुक्त से खाली / कोरा चेक लेकर अपने पास रखा था। इस सुझाव को भी इंकार किया है कि उसने अभियुक्त द्वारा दिये गये कोरे चेक में 2,07000 / –रूपये की रकम भरकर उसे अनादरित कराकर झूठा परिवाद पेश किया है।

12. जबकि उक्त संबंध में अभियुक्त द्वारा परिवादी साक्ष्य में अभियुक्त के विरूद्ध आये कथनों के स्पष्टीकरण में अभियुक्त ने परिवादी से फैंसी ड्रेसें किराये पर लेना स्वीकार किया है। बल्कि परिवादी को ड्रेस की किराया राशि भुगतान के एवज में प्र0पी0–1 का धनादेश क्रमांक–029564 दिनांकित 23.07.2018, राशि 2,07000 / –रूपये का बैंक ऑफ इंडिया शाखा उतई दुर्ग छ0ग0 का दिया जाना भी स्वीकार किया गया है। अभियुक्त द्वारा प्रश्नाधीन चेक पर स्वयं के हस्ताक्षर को चुनौती भी नहीं दी है। अभियुक्त ने

अपने बचाव में यह व्यक्त किया है कि उसने परिवादी को कोरा चेक प्रदान किया था। जबकि उक्त विशिष्ट तथ्य को धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत साबित करने का भार अभियुक्त पर था जिसे उसके द्वारा साबित नहीं किया गया।

13. इसी प्रकार 1881 के अधिनियम की धारा 139 चेक के धारक के पक्ष में यह उपधारणा करती है कि –

> "139. Presumption in favour of holder. It shall bepresumed, unless the contrary is proved, that the holder of a cheque received the cheque of the nature referred to in section 138 for the discharge, in whole or in part, or any debt or other liability."

14. इस प्रावधान के निर्वचन के संबंध में न्याय दृष्टांत **Rangappa vs Shri Mohan (2011) 2 SCC 441** में मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायमूर्तिगण की पीठ द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत अवलोकनीय है –

> "The presumption under Section 139 of the Negotiable Instruments Act, 1881 includes the presumption of theexistence of a legally enforceable debt or liability. That presumption is required to be honoured, and if it is not so done, the entire basis of making these provisions will be lost. Therefore, it has been held

that it is for the accused to explain his case and defend it once the fact of cheque bouncing is prima facie established. The burden is on him to disprove the allegations once a prima facie case is made out by the complainant." (Emphasis supplied)

15. इस प्रकार परिवादी ने अपने पक्ष समर्थन में जो साक्ष्य प्रस्तुत की है वह यह उपधारित करने हेतु प्रथम दृष्टया प्रमाण रखती है कि परिवादी चेक का सम्यक अनुक्रम धारक है और अभियुक्त ने प्रदर्श पी0–1 का चेक उसे वैध दायित्व के उन्मोचन हेतु प्रदत्त किया था। अभियुक्त ने यह बचाव लिया है कि उक्त चेक उसने परिवादी से किराये से लिए गये ड्रेस के एवज में कोरा/खाली दिया था। जिससे यह अप्रत्यक्षरूप से स्वीकार होता है कि वह परिवादी एवं आरोपी के मध्य संव्यवहार हुआ था, उसी के पेटे अभियुक्त ने परिवादी को चेक प्रदान किया था। यहां उल्लेखनीय है कि परिवादी सुषमा अग्रवाल (प0सा0–1) के प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त की ओर से इस तथ्य को कोई चुनौती नहीं दी गई है कि प्रदर्श पी0–1 अभियुक्त के ही हस्ताक्षर नहीं हैं।

16. वर्तमान प्रकरण में कोई **Specific Denial** चेक पर हस्ताक्षर के संबंध में नहीं है। सुझावों से ही इंगित होता है कि चेक पर आरोपी के हस्ताक्षर होना विवादित नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर चेक प्रर्दश पी0–1 का अवलोकन किया जाए तो उस पर अभियुक्त के हस्ताक्षर निर्विवादित हैं। इस बिंदु पर कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि चेक की इबारत आरोपी द्वारा या की ओर से नहीं भरी है या चेक आरोपी के द्वारा

हस्ताक्षर नहीं किया गया हैं। अतः यह प्रमाणित होता है कि विवादित चेक प्रदर्श पी0–1 में आरोपी के हस्ताक्षर है। उसकी साक्ष्य से यह उपधारणा खण्डित नहीं होती है कि उसने परिवादी को प्रदर्श पी0–1 का चेक प्रदत्त नहीं किया था। अर्थात् अभियुक्त परिवादी के प्रदर्श पी0–1 के चेक के सम्यक् अनुक्रम धारक होने के तथ्य को खण्डित करने में विफल रहा है। यद्यपि अभियुक्त कथन के बचाव के अनुरूप परिवादी को सुझाव अवश्य दिये गये है किंतु उक्त सुझाव औपचारिक स्वरूप के है अभियुक्त द्वारा कोई तात्विक खण्डन नहीं कराया गया है। अभियुक्त की ओर से परिवादी के प्रतिपरीक्षण में ऐसे अन्य कोई भी तथ्य नहीं लाये जा सके हैं जो धारा 139 की उपधारणा को खण्डित करते हों।

17. अभियुक्त ने परिवादी को प्रश्नगत चेक प्रदर्श पी0–1 कोरा/खाली दिये जाने का बचाव लिया है परंतु उसने अपने पक्ष में ऐसी कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की है जो उसके पक्ष में की गई उपधारणा को खण्डित करती हो। अभियुक्त द्वारा अपने कथन के समर्थन में न ही किसी प्रकार का दस्तावेज पेश किया गया है और न ही सुदृढ़ साक्ष्य पेश किया गया है। धारा 118 एवं धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत् परिवादी के पक्ष में जो उपधारणा की जाती है, वह विधि की खंडनीय उपधारणा है, उसका खंडन तब होता है जब आरोपी का बचाव तार्किक संभव्य एवं सत्य हो।

That the Hon'ble Supreme court in the case of Laxmi dychem Vs. state of gujrat and ors (2012) 13 SCC 375 held that- in view of sec 139 it has to be presumed that the

cheque was issued in discharge of debt or other liability but the presumption could be rebutted by adducing evidence. The burden of proof was however on the person who wanted to rebut the presumption.

18. **In K.N.Beena vs Muniyappan (2001) 8 SCC 458,** the Hon'ble Supreme Court held that in view of the provisions of Section 139 of the Negotiable Instrument Act read with Section 118 thereof, the Court had to presume that the cheque had been issued for discharging a debt or liability. The said presumption was rebuttable and could be rebutted by the accused by proving the contrary. But mere denial or rebuttal by the accused was not enough. The accused had to prove by cogent evidence that there has no debt or liability.

19. अतः उपरोक्त उल्लेखित माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतो तथा धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तारतम्य में यह स्पष्ट है कि परिवादी के पक्ष में जो उपधारणा की जाती है उसे मात्र स्पष्टीकरण के माध्यम से खंडित नहीं किया जा सकता बल्कि खंडन के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि धारा 118 एवं धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत् परिवादी के पक्ष में की गयी उपधारणा को खंडित करने का भार अभियुक्त पर है जिसका निर्वहन अभियुक्त द्वारा

नहीं किया गया है। प्रस्तुत परिवाद में अभियुक्त यह साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि उक्त चेक उसके द्वारा किसी विधिक ऋण या दायित्व के निर्वहन में जारी नहीं किया गया था।

20. प्रदर्श पी0–1 का चेक अभियुक्त के बैंक खाते का है और उस पर अभियुक्त के हस्ताक्षर भी हैं। तब यह उपधारणा और प्रबल हो जाती है। तद्नुसार यह भी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ने परिवादी को प्रदर्श पी0–1 का चेक किसी वैध ऋण अथवा दायित्व के उन्मोचन हेतु प्रस्तुत किया था। अब वैध ऋण अथवा दायित्व के बिन्दु पर विचार करे तो परिवादी प्रदर्श पी0–1 के चेक का सम्यक् अनुक्रम धारक होना पाया गया है और उसके पक्ष में 1881 के अधिनियम की धारा 139 के अधीन इस बात की उपधारणा भी उपलब्ध है कि प्रश्नगत चेक प्रदर्श पी0–1 उसने वैध ऋण अथवा दायित्व के उन्मोचन में प्राप्त किया था।

<u>विचारणीय बिन्दु कमांक 3 .–</u>

21. परिवादी सुषमा अग्रवाल (प0सा0–1) का अभिकथन है कि उसने प्रदर्श पी0–1 का चेक अपने बैंक यूनियन बैंक शाखा लिली चौक रायपुर में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया तो वह अनादरित होकर वापस कर दिया गया था। अपने पक्ष समर्थन में परिवादी ने बैंक ऑफ इंडिया शाखा उतई दुर्ग द्वारा प्रदर्श पी0–1 के चेक के संबंध में जारी ज्ञापन प्रदर्श पी0–2 प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रदर्श पी0–1 के चेक के अनादरण का कारण ''अपर्याप्त राशि'' उल्लेखित है।

22. 1881 के अधिनियम की धारा 146 बैंक ज्ञापन के संबंध में यह उपधारणा करती है –

“146. Banks slip prima facie evidence of certain facts :- The Court shall, in respect of every proceeding under this Chapter, on production of bank's slip or memo having thereon the official mark denoting that the cheque has been dishonoured, presume the fact of dishonour of such cheque, unless and until such fact is disproved.”

23. अभियुक्त की ओर से धारा 146 की उपधारणा के खण्डन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है और इस कारण यह भी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है कि प्रदर्श पी0–1 का चेक अभियुक्त के खाते में पर्याप्त निधि न होने के कारण अनादरित हो गया था।

विचारणीय बिन्दु कमांक 4 व 5 .–

24. परिवादी सुषमा अग्रवाल (प0सा0–1) का अभिकथन है कि चेक अनादरण की सूचना प्राप्त होने पर उसने अभियुक्त को रजिस्टर्ड डाक से विधिक मांग सूचना पत्र प्र0पी0 4 प्रेषित किया था। परिवादी ने नोटिस प्रेषित करने की डाक रसीद प्रदर्श पी0–5, नोटिस प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद प्रदर्श पी–30 प्रस्तुत किये हैं।

25. अभियुक्त ने अपने अभियुक्त कथन में परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्र0पी0–1 एवं प्र0पी0–2 के दस्तावेजों को स्वीकार किया है एवं प्र0पी0–3 से प्र0पी0–5 के दस्तावेज को अस्वीकार किया है। किंतु आरोपी द्वारा नोटिस प्राप्ति अभिस्वीकृति प्र0पी0–30 संलग्न है, जिस पर अभियुक्त के अ से अ भाग पर हस्ताक्षर है। जिसको अभियुक्त के द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है। साधारण खण्ड अधिनियम 1897 की धारा 27 की उपधारणा परिवादी के पक्ष में

आकृष्ट होती है। इसलिये अभियुक्त को प्रेषित मांग सूचना पत्र की सम्यक् तामिल होना माना जावेगा। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन नोटिस के निर्वहन एवं राशि के भुगतान के दायित्व के संबंध में संबंध में मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **PP Alavi Hazi Vs. Palapetti Muhamed (2007) 6 SCC 555** में यह प्रतिपादित किया गया है कि –

> "Any drawer who claims that he did not receive the notice sent by post, can within 15 days of receipt of summons from the court in respect of the complaint under Section 138 of the Act, make payment of the cheque amount and submit to the court that he had made payment within 15 days of receipt of summons (by receiving a copy of complaint with the summons) and, therefore, the complaint is liable to be rejected. A person who does not pay within 15 days of receipt of the summons from the court along with the copy of the complaint under Section 138 of the Act, cannot obviously contend that there was no proper service of notice as required under Section 138, by ignoring statutory presumption to the contrary under Section 27 of the General Clauses Act and Section 114

of the Evidence Act.”

26. उपरोक्त न्याय दृष्टांत के आलोक में जब अभियुक्त ने इस मामले की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर चेक की राशि परिवादी को अदा नहीं की है अतः यह विचारणीय बिन्दु भी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होते हैं।

27. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आलोक में न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि परिवादी यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने उसे ऋण अथवा अन्य दायित्व के उन्मोचन हेतु चेक कमाकं 029564 ₹ 2,07000/-(दो लाख सात हजार रूपये मात्र) की राशि का चेक दिया था व उक्त चेक उसके खाते में पर्याप्त निधि न होने से अनादरित हो जाने पर परिवादी द्वारा उक्त राशि की अदायगी हेतु भेजे गए मांग सूचना पत्र प्राप्त होने के बाद भी भुगतान नहीं किया। परिणामस्वरूप अभियुक्त **छत्तीसगढ़ नवरंग कला निकेतन द्वारा-श्रीमती शोभा साह** को परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में **दोषसिद्ध** ठहराया जाता है। अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए अभियुक्त को अपराधिक परीवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

28. दंड के प्रश्न पर अभियुक्त व परिवादी को सुना गया। आरोपित अपराध **दो वर्ष** तक के अधिकतम कारावास से दंडनीय है तथा समन प्रक्रिया द्वारा विचारणीय है। यह मामला सन् 2018 में प्रदान किए गए चेक के अनादरण से संबंधित है अर्थात् संव्यवहार हुए लगभग दो वर्ष बीत चुके हैं। इस अवधि में सामान्य निवेश में सारवान वृद्धि होती। प्रकरण में यह भी

अवलोकनीय है कि **प्रतिपरीक्षण की कंडिका 13 में परिवादी द्वारा अभियुक्त के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि दिनांक 13.12.2019 को अभियुक्त से 50,000/—रूपये प्राप्त किया है, जिसकी स्वीकृति प्रकरण के आदेश पत्रिका में उल्लेखित है। अतः उक्त राशि प्रतिकर की राशि में समायोजित की जावेगी।**

29. परिणामस्वरूप आरोपित अपराध की प्रकृति, विचारण में लगे समय, प्रकरण की परिस्थितियों एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 117 के द्वारा दर्शाए मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए **अभियुक्त छत्तीसगढ़ नवरंग कला निकेतन द्वारा—श्रीमती शोभा साहू** को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्धि पर **एक वर्ष के साधारण कारावास** से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को **(पूर्व में आरोपी द्वारा परिवादी को प्रदान किये गये 50,000/—रूपये राशि समायोजित किये जाने से) 1,60,000/—(एक लाख साठ हजार रूपये मात्र)** का प्रतिकर भी परिवादी को द0प्र0सं0 की धारा 357(3) के अनुसार निर्णय दिनांक से **दो माह** की अवधि में अदा करने का आदेश दिया जाता है। प्रतिकर के संबंध में अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकृत किया जायेगा।

30. अभियुक्त द्वारा परिवादी को प्रतिकर की राशी अदा किए जाने में व्यतिक्रम किए जाने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास पृथक से भुगताया जाए।

31. अभियुक्त के जमानत/ प्रतिभू एवं व्यक्तिगत बंधपत्र भारमुक्त कर स्वतंत्र किये जाते हैं, किन्तु द0प्र0सं0 की धारा 437ए के प्रावधान के तहत

प्रस्तुत जमानत/ प्रतिभू एवं व्यक्तिगत बंधपत्र निर्णय दिनांक से छः माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

32. अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहा है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 428 द0प्र0सं0 पृथक से तैयार कर अभिलेख में संलग्न किया जाए।

33. निर्णय की प्रति अभियुक्त को दं0प्र0सं0 की धारा–363 के अतंर्गत निःशुल्क प्रदान किया जावे।

स्थान : रायपुर
दिनांक : 07.09.2021

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षारित, दिनांकित कर घोषित किया गया।

(श्रीमती निधि शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रायपुर छ.ग.

मेरे निर्देश पर टंकित

(श्रीमती निधि शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
रायपुर छ.ग.

न्यायालयः— श्रीमती निधि शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर छ.ग.

अभियुक्त के पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा के संबंध में धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र

परिवाद प्र0 क0—4825 / 2018
संस्थित दिनांक—14.09.2018
सी0आई0एस0 नंबर—4825 / 2018
निर्णय दिनांक—07.09.2021

कमांक	अभियुक्त का नाम	पुलिस अभिरक्षा की अवधि	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	कुल अवधि
1.	**शोभा साहू**	निरंक	निरंक	निरंक

(श्रीमती निधि शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रायपुर छ.ग.